

(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी— श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

<u>मिसल संख्या:</u>	<u>तारीख दायरा</u>	<u>तारीख निर्णय</u>
60/अपील/2018	15.06.2018	19.07.2018

प्रकाश आ0 रामगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला तहसील नैनवां
जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांत

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 01.11.2017
तहसीलदार, नैनवां
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से — श्री महावीर मीणा, अभिभाषक।
रेस्पोंडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1/869 रकबा 06 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम सण्डीला तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 300/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश



Handwritten signature or mark at the top of the page.

कर्म का आदि है तथा बहुत अधिक धरणाह मीमं पर अधिकमण कर प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवाहित मीमं पर बार-बार अधिकमण पत्रावली में शामिल है जिससे अपीलान्त पत्रावली अधिकमी होने वर्ष बैठलत किये गये निर्णय की प्रति मी अधीनस्थ न्यायालय की गये निर्णय का अंकन अधीनस्थ निर्णय में है तथा अपीलान्त को गये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गये वर्ष अपीलान्त को बैठलत किये किये सिविल कारावास की सजा से दंडित नहीं किया जा सकता। पत्रावली नही मना जा सकता। अपीलान्त को विना पत्रावली साहित बही की प्रति संलग्न नहीं है, विना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मी के से बैठलत करने की घटना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पत्रावली प्रमाणित अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त ने यह मी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कल्या छोड़ने बाबत पत्रावली रिपोर्ट व कल्या छोड़ दिया है तथा बकाया पूनाली जमा करा दी गई है। अपीलान्त ने अपील में निवेदन किया है कि उसने विवाहित मीमं से किसी भी व्यक्ति को अधिकमण व कल्या करने का अधिकार नहीं है। जिस मीमं पर अधिकमण किया गया है वह धरणाह मीमं है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्त को किया है। पत्रावली रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर कर अपीलान्त को अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवाहित मीमं पर अधिकमण किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पत्रावली के समने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस समय पर मने

जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।
की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज करमायी कल्या छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पत्रावली रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय करने का आदि है। अपीलान्त ने अधिकमण मीमं से कल्या नहीं छोड़ा है, में अंकन है। अपीलान्त पत्रावली अधिकमी है तथा बार-बार अधिकमण गया था जिसका विवरण पत्रावली बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय गया है। अपीलान्त को गये वर्ष मी अधिकमित मीमं से बैठलत किया तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है किये कि अपीलान्त ने राजकीय धरणाह मीमं पर अधिकमण किया गया परीकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत

दिनांक 01.11.2017 निरस्त करमाया जावे।
अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिकमी की सजा के कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता। अतः साक्ष्य व सबूत व दस्तावेज नहीं लिये हैं। पत्रावली साहित किये विना बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली अधिकमी बाबत कोई दिया गया है। अपीलान्त ने पूनाली राशि जमा करा दी है कोई राजस्व अधीनस्थ को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई का अवसर नहीं लामील मानकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत नहीं है। जायी नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त की न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस

3

रखा है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)
19/7/18
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)